लूट के आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर, तलाश जारी

चित्रकूट में लूटी गयी कार धारकुण्डी में मिली

सतना। चित्रकूट थाना क्षेत्र अंतर्गत जानकी कुण्ड स्थित रघुवीर मंदिर के सामने से इलाज कराने आये वृद्धजनों से कट्टे की नोंक पर की गयी स्विप्ट कार सहित लाखों रुपये की लूट के आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं।अलबत्ता पुलिस द्वारा सीसीटीवी कैमरे के लोकेशन के आधार पर की गयी नाकाबंदी के चलते लुटेरे मारकुण्डी क्षेत्र में स्विप्ट कार क्रमांक एमपी 15सीसी-1040 को छोड़कर भाग खड़े हुये,जिसे चित्रकूट थाना की पुलिस ने बरामद कर लिया है।

ज्ञातव्य है कि शिवपुरी निवासी लक्ष्मीनारायण सोनी टीकमगढ़ निवासी अपने समधी जगदीश सोनी व दो अन्य साथियों के साथ आंख का उपचार कराने मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात स्विप्ट कार से पहुंचे थे।जानकीकुण्ड स्थित रघुवीरमंदिर के पास कार खड़ी कर दी और जगदीश सोनी दोनों साथियों के साथ रात्रि

विश्राम के लिये कमरा की तलाश में चले गये। इसी दरमियान कट्टा से लैस बदमाशों ने वहां पहुंच कर जगदीश सोनी के समधी लक्ष्मीनारायण सोनी के साथ मारपीट की और कट्टा अड़ाकर 5 हजार रुपये नगदी और मोबाइल छीन लिया। हथियार बंद बदमाश कार पर सवार होकर भाग खड़े हुये। घटना के बाद जब जगदीश सोनी व अन्य साथी वापस लौट कर आये तो लक्ष्मीनारायण द्वारा घटना की जानकारी दी गयी।मारपीट एवं लूट के शिकार लक्ष्मीनारायण व अन्य लोगों ने चित्रकूट थाना जाकर घटना की रिपोर्ट दर्ज करायी थी। जिस पर पुलिस द्वारा अज्ञात लुटेरों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर जांच शुरू की गयी। चित्रकूट थाना प्रभारी पंकज शुक्ला के नेतृत्व में पुलिस टीम ने चित्रकूट से कर्बी तक सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले। जिसमें कार उत्तर प्रदेश की ओर से आती दिखाई दी। पुलिस ने आशंका जताई है कि लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद लुटेरे प्रयागराज भाग गये। पुलिस द्वारा घटना की जांच की जा रही है। एक पुलिस टीम को आरोपियों की तलाश में प्रयागराज भी भेजा गया है।

खबर संक्षेप

शार्ट सर्किट को हल्के में न लें, तुरंत ठीक करवाएं

सतना। विद्युत वितरण कंपनी ने आमजन से आगाह किया है कि घर अथवा संस्थान में कहीं भी शार्ट सर्किट होने पर उसे हल्के में न लें,बल्कि तुरंत इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर ठीक करवाएं। ऐसे में जरा सी असावधानी किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है।करंट से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम में आमजनों का भी सहयोग जरूरी है। कंपनी ने कहा है कि यदि घरों में अर्थिंग नहीं है तो वायरिंग के पहले अर्थिंग जरूर दें। इसके साथ ही घटिया या सस्ती वायरिंग की बजाय मानक स्तर की वायरिंग करवाएं,जिससे शार्ट सर्किट से होने वाली हानि से बचा जा सके।एक अनुमान के मुताबिक ज्यादातर शार्ट सर्किट की घटनाएं या तो घटिया वायरिंग के कारण होती हैं या फिर ज्यादा समय से पुरानी वायरिंग होने के चलते शार्ट सर्किट की घटनाएं होती हैं। इसलिए जरा सी लापरवाही महंगी पड़ सकती है। बिजली कंपनी आम उपभोक्ता को पुरानी वायरिंग की जगह मानक स्तर की नई वायरिंग करवाने की सलाह देती है,जिससे शार्ट सर्किट की घटनाओं से बचा जा सके। विद्युत लाइनों से संबंधित किसी भी तरह की शिकायत हों तो तत्काल कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 1912 पर या समीप के वितरण केन्द्र कार्यालय में सूचना अवश्य दें। विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि घरेलू विद्युत उपकरणों, वायरिंग, स्विच आदि को स्वयं सुधारने के बजाय किसी प्रशिक्षित इलेक्ट्रीशियन की सेवाएं लें। मानव जीवन अमूल्य है। बिजली के स्विच,सॉकिट,बिजली उपकरण बच्चों की पहुंच से दूर रखें। स्वीकृत भार से अधिक लोड का उपयोग न करें। उचित क्षमता के एम.सी.सी.बी,कट-आउट लगाने के साथ ही अच्छी गुणवत्ता की वायरिंग का ही उपयोग करें। वर्ष में एक बार अपने परिसर की वायरिंग,फिटिंग,अर्थिंग अनुभवी एवं दक्ष इलेक्ट्रीशियन से अवश्य जांच कराएं, ताकि शार्ट सर्किट की दुर्घटनाओं से बचा जा सके।

रामपुर बाघेलान पुलिस ने अंधी हत्या के फरार आरोपी को किया गिरफ्तार

सतना। 1 मई को थाना रामपुर बाघेलान में हुई अंधीहत्या के फरार चौथे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि कटरा नदी के किनारे ग्राम कटरा थाना रामपुर बाघेलान जिला सतना में मृतक अंजनी कोल पिता रविकरण कोल उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम पड़रिया कला थाना रामपुर बाघेलान की हत्या की गई थी। इस हत्या के तीन आरोपी छोहन प्रजापति पिता साधूलाल प्रजापति उम्र 55 साल,शोभनाथ प्रजापति पिता रामखेलावन प्रजापति उम्र 30 वर्ष और महेन्द्र प्रजापति पिता रामखेलावन प्रजापति उम्र 24 वर्ष सभी निवासी कटरा थाना रामपुर बाघेलान जिला सतना मण्प्रण को रामपुर बाघेलान थाना पुलिस ने 2 मई 20 24 को गिरफ्तार किया था। चौथा आरोपी विष्णु प्रजापति पिता लाला प्रजापति उम्र 25 वर्ष निवासी कटरा थाना रामपुर बाघेलान घटना के समय से फरार चल रहा था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना एवं लोकेशन के आधार पर आरोपी रायगढ़ छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस द्वारा आरोपी को न्यायालय पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

उर्वरक के स्टॉक का भौतिक सत्यापन करने कृषि अधिकारियों को निर्देश

सतना। उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास मनोज कश्यप ने बताया कि खरीफ फसलों के लिये जिले के सहकारी एवं निजी क्षेत्रों में उर्वरक पर्याप्त मात्रा में भंडारित है। साथ ही शासन से उर्वरक की रैक प्रदाय की जा रही है। कृषकों के हितों को ध्यान में रखते हुये जिले के सभी उर्वरक निरीक्षकों और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों को उर्वरक विक्रय केंद्रों का निरीक्षण करने के निर्देश दिये गये हैं। उप संचालक ने बताया कि कृषि अधिकारियों और निरीक्षकों को निर्देश दिये गये हैं कि उर्वरक केंद्रों के निरीक्षण के दौरान उर्वरक की भौतिक मात्रा का मिलान आईएफएमएस पोर्टल में फीड मात्रा से करना सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा विक्रय केंद्र पर रेट सूची और स्टॉक प्रदर्शन बोर्ड की व्यवस्था करने तथा कृषकों को निर्धारित दर पर उर्वरक का विक्रय करने प्रत्येक उर्वरक विक्रेता को निर्देशित करना भी सुनिश्चित करेंगे। उप संचालक श्री कश्यप ने सभी उर्वरक निरीक्षकों और कृषि विकास अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि यदि किसी उर्वरक विक्रेता द्वारा निर्धारित दर से अधिक कीमत पर उर्वरक का विक्रय किया जा रहा हो अथवा किसी प्रकार की अनियमितता की जा रही हो,तो संबंधित विक्रेता के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे। उर्वरक वितरण में अनियमितता एवं अधिक दर पर उर्वरक विक्रय की सूचना किसी भी माध्यम से उप संचालक कृषि विकास तथा किसान कल्याण कार्यालय सतना को प्राप्त होती है, तो इसकी संपूर्ण जवाबदारी संबंधित क्षेत्र के कृषि अधिकारी की होगी।

कवि सम्मेलन में कवियों सुनाई अपनी अपनी रचनाएं

__मैहर।__ नगर की साहित्यिक संस्था मैहर विकाश मंच के द्वारा वरिष्ट साहित्यकार कवि रामनरेश तिवारी के 75 वें जन्म दिन पर विराट कवि सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन राम जानकी मंदिर के महंत स्वामी सीता बल्लभ शरण महाराज के मुख्य आतिथ्य में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व हिन्दी विभागाध्यक्ष गया प्रसाद चौरसिया ने की। विशेष अतिथि के रूप में नगरपालिका मैहर के सभापति अशोक चौबे,पूर्व जिला पंचायत सदस्य महेन्द्र पटेल ,समाजसेवी कैलाश शर्मा,मिथलेश गुप्ता,अम्बिका प्रसाद मिश्र व अंकुर मंच के संयोजक वीरेन्द्र प्रताप सिंह,तथा रवि सराफ उपस्थित रहे। सर्व प्रथम अतिथियों द्वारा मां शारदा के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किया गया तदोपरांत अतिथियों व कवियों का स्वागत संस्था के संयोजक रामप्रकाश गुप्ता ने किया। इस अवसर पर संस्था द्वारा कवि रामनरेश तिवारी का विशेष सम्मान शाल श्रीफल व स्मृति चिन्ह भेंटकर किया गया।कवि सम्मेलन का संचालन व्यंग्यकार आशीष त्रिपाठी मैहर ने किया।आमंत्रित कवियों में ओज के वरेण्य कवि छोटेलाल पाण्डेय,मधु जैन,सुरेश मिश्र,सचिन मिश्रा श्यामबिहारी श्याम,साहिर रिवानी,विवेक अंजन,रामेश्वर लहरी,ठाकुर कुशवाहा,दिति कुशवाहा,शिवम चौरसिया व धनश्याम सोनी ने काव्यपाठ किया। कार्यक्रम के अंत में आभार ज्ञापन नीरज चौरसिया ने किया।

कक्षा-5 और 8 की पुनः परीक्षा के संबंध में राज्य शिक्षा केन्द्र ने जारी किये निर्देश

पुनः परीक्षा 3 जून से होगी प्रारंभ

सतना। स्कूल शिक्षा विभाग ने कक्षा-5 और 8 की पुनः परीक्षा सत्र 2023-24 के लिये दिशा-निर्देश जारी किये हैं। इस संबंध में जिला कलेक्टर्स को राज्य शिक्षा केन्द्र ने पत्र लिखा है।कक्षा-5 और 8 की पुनः परीक्षा 3 जून से 8 जून के मध्य होगी। राज्य शिक्षा केन्द्र ने प्रोजेक्ट कार्य के अंकों की प्रविष्टि के संबंध में कहा है कि ऐसे परीक्षार्थी,जो अनुत्तीर्ण हो गये हों या अनुपस्थित रहे हों,उन छात्रों के प्रोजेक्ट कार्य 15 मई तक अनिवार्य रूप से पूरा कर मूल्यांकन किया जाये। इन कक्षाओं के पुनः परीक्षा केन्द्र जनशिक्षा केन्द्र पर ही निर्धारित किये जायें।छात्रों की संख्या 500 से अधिक होने पर दूसरा परीक्षा केन्द्र राज्य शिक्षा केन्द्र की अनुमति से बनाया जा सकेगा।निर्देशों में कहा गया है कि परीक्षा केन्द्र तक परीक्षार्थियों को पहुँचाने का दायित्व संबंधित शाला प्रमुख और शिक्षकों का होगा। परीक्षार्थियों के प्रवेश-पत्र डाउनलोड कर प्राप्त किये जा सकेंगे। इस संबंध में विस्तृत जानकारी राज्य शिक्षा केन्द्र के जिला समन्वयक से भी प्राप्त की जा सकती है।

सहायक संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी

सतना। कलेक्टर अनुराग वर्मा ने पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग के सहायक संचालक को प्रधान महालेखाकार ग्वालियर से प्राप्त रिपोर्ट पर प्रतिवेदन तैयार किये जाने की कार्यवाही लंबित रखने और कार्यालय कलेक्टर (जनजातीय कार्य विभाग) द्वारा मांगी गई जानकारी समय-सीमा में उपलब्ध नहीं कराने पर कारण बताओ नोटिस जारी की है। कलेक्टर द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग प्रधान महालेखाकार ग्वालियर से प्राप्त ऑडिट ड्राफ्ट रिपोर्ट में ऑडिट दल द्वारा उठाई गई आपत्तियों का उत्तर सही ढंग से एवं तथ्यात्मक नहीं होने से अनियमितताओं के संबंध में कमेटी गठित कर जांच कार्यवाही कर प्रतिवेदन वरिष्ठ कार्यालय को भेजा जाना था। इस संबंध में सहायक संचालक द्वारा आज दिनांक तक किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई। इससे ऑडिट ड्राफ्ट रिपोर्ट का उत्तर तैयार कर अनियमितताओं के लिये जिम्मेदार संस्था/व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के लिये प्रतिवेदन तैयार करने की कार्यवाही लंबित है। इसके अलावा कार्यालय कलेक्टर (जनजातीय कार्य विभाग) द्वारा महालेखाकार ग्वालियर से प्राप्त ऑडिट ड्राफ्ट रिपोर्ट में संबंधित संस्थाओं/व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी मूल नस्ती सहित 3 दिवस में उपलब्ध कराने के लिये 16 अप्रैल 2024 को पत्राचार किया गया था। लेकिन आज दिनांक तक सहायक संचालक द्वारा जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। जिस पर कलेक्टर अनुराग वर्मा ने सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग को नोटिस जारी करते हुये 3 दिवस के अंदर जानकारी सहित जवाब उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं। समय-सीमा में जवाब नहीं मिलने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की चेतावनी दी गई है।

जवाहर नगर में सीवर लाइन के लिए खोदी गई सड़क पांच महीने बाद भी नहीं बनी

सतना। जवाहर नगर में सीवर लाइन के लिए खोदी गई सड़क 5 महीने बाद भी नहीं बनाई जा सकी है। जिसकी वजह से नागरिकों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब लोगों की चिंता इसलिए बढ़ती जा रही है कि मई के महीने तक अगर सड़क नहीं बनी तो बारिश के दिनों में घर से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। आपको बता दें कि इलाके के लोग कई बार नगर निगम से फरियाद कर चुके हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। लोगों को अब नए कमिश्नर से उम्मीद है कि वह इलाके का दौरा करें और नागरिकों को समस्याओं से छुटकारा दिलाए।

नाले-नालियों की सफाई जारी

नगर निगम आयुक्त शेर सिंह मीना के आदेश के अनुपालन में कोठी रोड एवं रीवा रोड पर सीवर लाइन बिछाने का कार्य पूर्ण हो जाने पर रेस्टोरेशन का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। यह जानकारी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी द्वारा दी गयी है। बताया गया है कि नगर पालिक निगम के आयुक्त द्वारा गत दिवस कोठी रोड एवं रीवा रोड में चल रहे रेस्टोरेशन के कार्य का निरीक्षण किया गया और निर्देशित किया गया है कि कार्य बेहतर ढंग से कराया जाये,ताकि नागरिकों को आवागमन में असुविधा न हो। ज्ञातव्य है कि शहर के आंतरिक भागों में बिछाये गये सीवर लाइन का कार्य पूर्ण होने के बाद सीमेन्ट कंक्रीट से रेस्टोरेशन का कार्य किया जा रहा है।निरीक्षण के दौरान नगर निगम आयुक्त ने कार्य की गुणवत्ता बनाये रखने एवं रेस्टोरेशन के दौरान बनायी जा रही सड़क की तराई करने के निर्देश दिये। उन्होंने सड़क पर से बची निर्माण सामग्री एवं मिट्टी बगैरह हटाकर सड़क को साफ-सुथरी बनाने के निर्देश भी दिये। इसके साथ ही आयुक्त ने शहर के बड़े नाले-नालियों की सफाई हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान का निरीक्षण भी किया। जिसे सफाई अभियान के दूसरे दिन वार्ड क्रमांक 40 के विभिन्न क्षेत्रों में 1100 मीटर नाले-नालियों की सफाई की गयी। 10 ट्राली कचरा,गंदगी का निस्तारण कराया गया।

संभागीय कमिश्नर राजस्व कार्य तथा पेयजल व्यवस्था की करेंगे समीक्षा

कलेक्टर कांफ्रेंस 8 मई को

सतना। रीवा संभाग के कमिश्नर गोपालचन्द्र डाड की अध्यक्षता में 8 मई को प्रातः 11 बजे से कमिश्नर कार्यालय सभागार रीवा में कलेक्टर कांफ्रेंस आयोजित की जा रही है। इस बैठक में कमिश्नर राजस्व कार्यों तथा पेयजल व्यवस्था की जिलेवार समीक्षा करेंगे। बैठक में प्रातः 11 बजे से प्रातः 11.30 बजे तक अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की संभागीय सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बाद प्रातः 11.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक संवेदनशील विषयों पर कार्यवाही की समीक्षा की जाएगी। कमिश्नर दोपहर 12.30 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक राजस्व कार्यों की समीक्षा करेंगे। इसके बाद दोपहर 2.30 बजे से आयोजित विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में पेयजल व्यवस्था, समर्थन मूल्य पर गेंहू उपार्जन,प्रधानमंत्री आवास योजना,स्वच्छ भारत मिशन,बिजली की आपूर्ति,मनरेगा योजना,गौशाला निर्माण,खनिज राजस्व वसूली तथा छात्रवृत्ति वितरण की समीक्षा की जाएगी। संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर,पुलिस अधीक्षक,जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा संभागीय अधिकारी बैठक में उपस्थित रहेंगे।

रेडी-टू-ट्रांसपोर्ट की प्रगति और कार्य पूर्णता स्थिति की रिपोर्ट 6 मई तक उपलब्ध करायें

सतना। अपर कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने निर्देशित किया है कि गोदाम स्तरीय केंद्रों पर नियुक्त अधिकारी रेडी-टू-ट्रांसपोर्ट की प्रगति और कार्यपूर्णता की स्थिति की जानकारी 6 मई को प्रातः 11 बजे तक समक्ष में उपस्थित होकर देना सुनिश्चित करें। उन्होने उर्पाजन केंद्रों के जिम्मेदार अधिकारियों से कहा है कि गोदाम स्तरीय उपार्जन केंद्रों में देखने को मिला है कि कृषकों से उपज खरीदी के बाद भंडारण के लिये रेडी-टू-ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा रहा है। यदि रेडी-टू-ट्रांसपोर्ट तैयार है,तो हैंडलिंग चालान जारी नहीं किये जा रहें हैं। अपर कलेक्टर ने रेडी-टू-ट्रांसपोर्ट और हैंडलिंग चालान जारी नहीं करने की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिये गोदाम स्तरीय केंद्रों में नियुक्त अधिकारियों को निर्देशित किया है कि दिनांकवार,गोदाम/समितिवार रेडी-टू-ट्रांसपोर्ट एवं हैंडलिंग चालान जारी कराना सुनिश्चित करें। ताकि ऑनलाईन परिवहन की मात्रा परिलक्षित हो सके।

गांजा तस्करी के मामले में 15 साल का सश्रम कारावास

हरिभूमि न्यूज ▶▶ कटनी

गांजा तस्करी के मामले में विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट ने गांजा तस्करी के मामले में आरोपी राजा यादव पिता बाबूलाल यादव 28 निवासी अर्जुनी थाना बिरसिंहपुर पाली उमरिया को 15 साल के सश्रम कारावास एवं एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश पारित किया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक केके पांडेय ने पैरवी की। इस मामले का दूसरा आरोपी जयप्रकाश सारथी पिता छींगालाल सारथी (32) निवासी गौरेला पेंड्रा बिलासपुर हाल वार्ड नंबर 13 पुरानी बस्ती अनूपपुर घटना दिनांक से फरार है। जिसके विरुद्ध न्यायालय द्वारा अप्रैल 2023 में ही फरार घोषित कर स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा चुका है।

अभियोजन के अनुसार स्लीमनाबाद थाना में पदस्थ एसआई संतराम यादव ने 17-8-2022 को सैलारपुर के आगे कार से एक क्विंटल, 23 किलो, 300 ग्राम गांजा बरामद किया था। पुलिस को देखकर कार चालक ने वाहन की रफ्तार बढ़ाकर भागने का प्रयास किया। कीचड़ में वाहन फंसने से उसका दरवाजा नहीं खुल पाया और आरोपी राजा यादव पकड़ा गया लेकिन दूसरा आरोपी वाहन चालक जयप्रकाश सारथी भागने में सफल रहा। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत विवेचना कर सैम्पल जांच के लिए आरएफएसएल सागर भेजा। मादक पदार्थ गांजा की पुष्टि होने पर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को मादक पदार्थ गांजा की तस्करी का दोषी पाते हुए उपरोक्तानुसार दंडादेश पारित किया।

एकेएस के कृषि कीट विज्ञान विभाग के सहायक प्राध्यापक का शानदार लेखन

सतना। एकेएस के एग्रोकल्चर,कीट विज्ञान विभाग के सहायक प्राध्यापक का शानदार लेखन सराहा जा रहा है। डॉ लाल बहादुर सिंह द्वारा लिखित पुस्तक का विषय कई विषयों को समेटे हुए हैं। एकेएस विश्व विद्यालय के कृषि संकाय के कीट विज्ञान विभाग में सहायक प्राध्यापक पद पर कार्यरत डॉ लाल बहादुर सिंह ने अपनी बुक कई रिफरेंस के साथ प्रकाशित की है। पुस्तक टू साइन पब्लिकेशन भोपाल के द्वारा लाक कल्चर इन साइट्स एंड इनोवेशन टॉपिक के साथ प्रकाशित है। इस बुक में आईसीएआर सिलेबस को लेकर कई चैप्टर को प्राथमिकता दी गई है। किताब एकेएस विश्व विद्यालय के छात्रों के साथ साथ अन्य स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है। पुस्तक साजिल्द ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड पर उपलब्ध है। पुस्तक पब्लिकेशन पर विश्व विद्यालय प्रबंधन,विभाग अधिष्ठाता प्रो.एस.एस.तोमर,डायरेक्टर प्रो.ए.के.भौमिक, विभाग प्रमुख डॉ.रमा शर्मा,डॉ नीरज वर्मा,शीलेंद्र उपाध्याय ने बधाई दी तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। पुस्तक का मूल्य 175 रुपए है उन्होंने सभी वरिष्ठ जनों और अपने सहकर्मियों को पुस्तक की एक प्रति भेंट की है।

खबर संक्षेप

स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आज

पन्ना। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त समन्वय से शनिवार, 4 मई को सुबह 10.30 बजे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय पन्ना में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश व प्राधिकरण की अध्यक्ष भावना साधौ शिविर का शुभारंभ करेंगी। जिला न्यायाधीश एवं प्राधिकरण के सचिव हरप्रसाद बंशकार द्वारा समस्त विभाग प्रमुखों एवं आमजनों से भी स्वैच्छिक रक्तदान के पुनीत कार्य में अपना अमूल्य योगदान प्रदान कर रक्तदाताओं को प्रेरित करने का अनुरोध किया गया है।

अवैध मदिरा के विरुद्ध कार्यवाही

दमोह। लोकसभा निर्वाचन 2024 में आदर्श आचार संहिता के दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुधीर कुमार कोचर द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत जिला आबकारी अधिकारी रविंद्र खरे के मार्गदर्शन में अवैध मदिरा के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में गत दिवस दमोह आबकारी कंट्रोल रूम प्रभारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी केशव प्रसाद गांधी द्वारा आबकारी वृत 'ब' के अंतर्गत पॉलीटेक्निक कॉलेज के पास और जबलपुर नाका में दाल मिल के पास अवैध मदिरा के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए कुल 35 लीटर हाथ भट्टी मदिरा और 1200 किलोग्राम महुआ लाहन विधिवत जप्त किया गया। इस दौरान कुल 4 प्रकरण आबकारी अधिनियम के अंतर्गत पंजीबद्ध किए गए। जप्त सामग्री के अनुमानित कीमत 1 लाख 25 हजार रुपये है। कार्यवाही में वृत हटा प्रभारी आबकारी उपनिरीक्षक अनुरोध सेन, वृत 'ब' प्रभारी आबकारी उपनिरीक्षक सुरेश कुमार गोंड, आबकारी आरक्षक जगदम्बा पांडे, हरिसिंह घुरैया, कुलदीप कटारे, छोटेलाल चौरसिया, तपिश हल्वी, अरविंद जाटव, भूपति सिंह एवं महिला आबकारी आरक्षक गीतांजलि गुप्ता, मेघा अहिरवार सहयोगी रहे।

गांजा का विक्रय करने वाले आरोपी को 4 वर्ष का कठोर कारावास एवं जुर्माना

पन्ना। कार्यालय जिला लोक अभियोजन अधिकारी पन्ना के सहा. मीडिया प्रभारी/सहा.जि.लोक अभि.अधि. रोहित गुप्ता के बताये अनुसार घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 31.03.2019 को निरीक्षक अरूण कुमार श्रीवास्तव ने थाना शाहनगर में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख किया कि दिनांक 31.03.2019 को समय 16:00 बजे जरिये मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि धरमपुरा मोहल्ला शाहनगर में अमान सिंह राठौर अपने घर एवं किराना दुकान में मादक पदार्थ गांजा की पुड़िया बनाकर बिक्री करता है संदेही अमान सिंह राठौर को मुखबिर सूचना से अवगत कराकर मकान एवं दुकान की तलाशी लेने के दौरान कोई मादक पदार्थ व आपत्तिजनक वस्तु नहीं पाई गई। संदेही अमान सिंह ने पूछताछ के दौरान बताया कि मादक पदार्थ गांजा की छोटी छोटी पुड़िया किरना दुकान काउण्टर के पास तथा तीन पैकेट गांजा बेडरूम में छिपाकर रखा है। तदोपरान्त गवाहों के समक्ष हमराही पुलिस स्टाफ के संदेही अमान सिंह के किराना दुकान एवं सपूर्ण घर व बेडरूम की विधिवत तलाशी ली गई तो किराना दुकान के काउण्टर के पास एक काले रंग की पॉलीथीन में 200 नग कागज की छोटी बडी पुड़ियों में भरा मादक पदार्थ गांजा तथा वही पर एक सफेद रंग के प्लास्टि के डिब्बा में मिट्टी की बनी हुई लाल रंग की पकी गांजा पीने की चिलम 60 नग एवं अमान सिह के मकान के उपर अटारी में बने बेडरूम के अंदर लोहे की पलंग पेटी के पीछे फर्स पर रखे तीन पैकेट, पॉलीथीन के अंदर भरा मादक पदार्थ गांजा बरामद हुआ। संदेही अमान सिंह के कब्जे से कुल 09 किलो 110 ग्राम गांजा कीमती करीब 90,000/- रूपये एक प्लास्टिक के सफेद रंग के डिब्बा में भरी 60 नग चिलम व एक लोहे की तराजू कांटा वाली एक छोटी तराजू 100 ग्राम, एक किलो वजन का बांट, 500 ग्राम का एक बांट तथा एक बांट 200 ग्राम का तथा एक बांट पीतल का 10 ग्राम वजन का मुताबिक जप्ती पत्रक जप्त किया गया, जप्तशुदा गांजा से पच्चीस-पच्चीस ग्राम के दो पैकेट सेम्पल तैयार किये जाकर दोनों सेम्पल का तथा शेष बचे 09 किलो 60 ग्राम गांजा को पृथक-पृथक शीलबंद कर कब्जे पुलिस लिया गया। जप्तशुदा गांजा एवं सेम्पल को सीलबंद करने का पंचनामा तैयार किया गया एवं संदेही अमान सिंह को गिरफ्तारी का कारण बताते हुए गिरफ्तार किया गया, अभियुक्त अमान सिंह राठौर के विरूद्ध थाना शाहनगर में धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका तैयार किया गया, सुसंगत साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त अमान सिंह राठौर के विरूद्ध धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत इस न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है। माननीय श्रीमान इंद्रजीत रघुवंशी विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट के न्यायालय मे शासन की ओर से पैरवी करते हुए श्री सुनील कुमार द्विवेदी अपर लोक अभियोजक द्वारा दौरान विचारण अभियोजन के साक्ष्य को क्रमबद्ध तरीके से लिपिबद्ध कराकर न्यायालय के समक्ष आरोपी के विरूद्ध आरोप को संदेह से परे प्रमाणित किया तथा आरोपी का कृत्य गंभीरतम होने के कारण उन्हे कठोर से कठोरतम सजा दिये जाने का अनुरोध किया। अभिलेख पर आई साक्ष्य और अभियोजन के तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतो से संतुष्ट होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी अमान सिंह को धारा-8/20(बी)(पप)(बी) एनडीपीएस एक्ट में 04 वर्ष का कठोर कारावास एवं 35000 रूपए का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

देवेंद्रनगर पुलिस ने सड़क पर खड़े वाहनों के काटे चालान

देवेंद्रनगर थाना प्रभारी अनूप यादव के नेतृत्व में सड़क पर खडे वाहन एवं अतिक्रमण कारियों पर चालानी कार्रवाई के माध्यम से हटवाया गया

सड़क पर खड़े वाहन चालकों एवं अतिक्रमणकारियों पर मचा हड़कंप

देवेन्दगर। देवेंद्रनगर की सड़कों पर इन दिनों अतिक्रमण एवं सड़कों पर वहान लोगों के द्वारा खड़ा कर दिया जाता था जिससे यातायात प्रभावित हो रहा था और आए दिन हाथसे हो रहे थे जिसमें राहगीरों को निकालने में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। जिसकी खबरों को प्रमुखता से पत्रकारों ने उठाया था। जिसको देवेंद्रनगर थाना प्रभारी अनूप यादव ने गंभीरता से लेते हुए अतिक्रमण हटवाना एवं सड़क पर वाहन खड़े न करने की अपील पिछले दिनों की थी लेकिन अतिक्रमणकारियों एवं वाहन चालकों द्वारा सड़क पर रेत ट्रक खड़े बाहनों पर कोई सुनाई नहीं की गई थी तभी देवेंद्रनगर थाना प्रभारी ने स्टाफ के साथ मिलकर नगर में सुचारू रूप से यातायात व्यवस्था एवम कानून व्यवस्था बनए रखने हेतु चालानी कार्यवाही शुरू की पन्ना पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में तभी सड़क पर खड़े वाहन चालकों पर हड़कंप मच गया और अब नगर में सड़कों से वहां हटाने लगे और जो लोग बाहन खड़े किए हुए थे उनके चलानी कार्रवाई की वही अतिक्रमणकारियों को भी सड़कों पर कब्जा किए हुए थे उनके भी चालान काटे इससे आमजन काफी उत्साह में देखे जा रहे हैं और लोगों मेंखुशी का माहौल देखा जाने लगा है कि वाहन चालकों को अब कोई समस्या नहीं हो रही है वहीं थाना प्रभारी ने कहा किया है अभियान लगातार चलेगा अतिक्रमण नहीं किया जाएगा जो भी करेगा या सड़कों पर बाहन खड़े कर रखे हैं उनके निरंतर इस प्रकार की चालानी कार्यवाही की जाएगी और जिससे कि नगर वासियों को कोई समस्या ना हो इसको देखते हुए नगर में सड़कों पर कोई भी वहां खड़ा ना करें यदि इसके बाद भी कोई वाहन खड़ा करता है सड़कों पर या अतिक्रमण सड़कों पर करता है तो कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

खुले बोरवेल की दुर्घटनाओं की रोकथाम के संबंध में निर्देश

पन्ना। कलेक्टर सुरेश कुमार ने शासन के निर्देशानुसार अनुपयोगी एवं खुले नलकूप, बोरवेल व ट्यूबवेल में छोटे बच्चों के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के संबंध में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री, समस्त जनपद पंचायत सीईओ एवं नगरीय निकायों के सीएमओ को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में गत दिवस रीवा जिले में हुई दुर्घटना के परिप्रेक्ष्य में पुनः खुले एवं अनुपयोगी बोरवेल को सर्वे उपरांत ढंके जाने के निर्देश दिए गए थे। इसके परिपालन में ग्राम पंचायतों द्वारा सत्यापित संकलित जानकारी भी प्रेषित की गई है। जिला कलेक्टर द्वारा ग्राम पंचायत एवं नगरीय क्षेत्र अंतर्गत शासकीय व निजी खुले/अनुपयोगी बोरवेल के संबंध में पुनः सत्यापन कर खुले पाए गए नलकूप की केसिंग के ऊपर स्टील प्लेट का कैप लगाकर कैप को नट बोल्ट से केसिंग में फिक्स कर व निर्धारित साइज के सीमेंट कॉक्रीट ब्लॉक बनाकर एवं कार्यस्थल के फोटोग्राफ सहित जनपद व नगरीय निकाय स्तर पर संधारित करने की कार्यवाही के लिए कहा गया है। साथ ही ऐसे शासकीय व निजी बोरवेल की अद्यतन सूची निर्धारित प्रारूप में संधारित कर प्रत्येक 6 माह में सूची अपडेट करने तथा जनपद व नगरीय निकाय स्तर पर समीक्षा के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर श्री कुमार ने अवगत कराया है कि सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर खुले बोरवेल की सूचना की शिकायत के संबंध में भी प्रावधान किया गया है। जनपद पंचायत क्षेत्र के लिए जपं सीईओ व नगरीय क्षेत्र के लिए सीएमओ को एल-1 अधिकारी बनाया गया है। उन्होंने ऐसी प्राप्त शिकायतों में निर्धारित समय-सीमा में अनिवार्य रूप से त्वरित कार्यवाही के लिए कहा है। इसके अलावा नवीन नलकूपों के खनन की मॉनीटरिंग के लिए एमपीएसईडीसी द्वारा विकसित परख पोर्टल पर नलकूप खनन करने वाले विभाग व एजेंसी एवं नलकूप खनन करने वाली मशीनों का पंजीयन कराया जाना भी अनिवार्य किया गया है। नवीन खनित अनुपयोगी पाए गए नलकूप जिनमें केसिंग नहीं डाली जाती है। उन नलकूपों को मिट्टी, रेत, मुरम इत्यादि से भूमि के सतह तक भरने की जवाबदेही संबंधित नलकूप खनन एजेंसी की होगी। इसी तरह पूर्व से खुले पड़े नलकूप व बोरवेल को मिट्टी, रेत, मुरम इत्यादि से भूमि की सतह तक भरने की जवाबदेही भूमि मालिक की होगी। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के लिए निर्देशित किया गया है।

आबादी क्षेत्र के आसपास रहने वाली बाघिन का हुआ रेस्क्यू

पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में छोड़ा गया

रेडियो कॉलर पहनकर की जा रही है मॉनिटरिंग

पन्ना। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व की एक अवयस्क बाघिन (16-17 माह) विगत कई दिनों से आबादी क्षेत्र के आसपास डोभा और बराछ गांव के निकट विचरण कर रही थी। यह बाघिन गांव में घुसकर मवेशियों का शिकार भी करने लगी, जिससे पूरे इलाके में भय और दहशत का माहौल था। जिसे देखते हुए पार्क प्रबंधन ने बाघिन का रेस्क्यू करके उसे पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में विचरण हेतु छोड़ दिया गया है। उल्लेखनीय है कि इस अवयस्क बाघिन की गांव के आसपास खेतों में मौजूद होने की खबरें तकरीबन एक माह से आ रही थीं। यह वहां मवेशियों का शिकार भी करने लगी थी। आबादी क्षेत्र के निकट रहने वाली यह बाघिन जब गांव में घुसकर मवेशियों के शिकार की घटनाओं को अंजाम देने लगी तो दहशत बढ़ गई। बाघिन व ग्रामीणों के बीच संभावित सघर्ष व किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पार्क प्रबधन ने तुरंत इस बाघिन को आबादी क्षेत्र से हटाने का निर्णय लिया। उच्च अधिकारियों से आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के उपरांत गत 2 मई को ट्रेंकुलाइज करके इस बाघिन को सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ दिया गया है, जहां उसकी सतत निगरानी की जा रही है। बाघिन के आबादी क्षेत्र से हटने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। क्षेत्र संचालक पन्ना टाइगर रिजर्व श्रीमती अंजना तिर्की ने बताया कि बाघिन को डोभा व बराछ गांव के आसपास विचरण करते हुए देखा गया था। पन्ना टाइगर रिजर्व के अधिकारी व मैदानी कर्मचारी बाघिन पर नजर रख रहे थे, यह प्रयास भी कियाजा रहा था कि वह आबादी क्षेत्र से वन क्षेत्र में आ जाए। लेकिन विगत एक एवं दो मई की रात्रि में बाघिन गांव में घुसकर मवेशियों को मार दिया। बाघिन के इस व्यवहार से गांव में भय और दहशत के साथ-साथ तनाव का भी माहौल था। लोग बाघिन के अप्रत्याशित हमले की आशंका से भी खौफजदा थे। इस तरह के माहौल व ग्रामीणों में पनपते आक्रोश को देखते हुए पार्क प्रबंधन ने आनन फानन मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक कार्यालय से अनुमति प्राप्त कर बाघिन का रेस्क्यू तुरंत करने का नर्णय लिया। क्षेत्र संचालक श्रीमती तिर्की ने बताया कि बाघिन को ट्रेंकुलाइज करने के लिए पन्ना टाइगर रिजर्व के प्रशिक्षित 6 हाथियों की मदद ली गई। यह बाघिन उत्तर वन मंडल पन्ना के बीट मथुरापुर के कक्ष क्रमांक पी-424 के प्लांटेशन में जब बैठी हई थी, उसी समय 2 मई को इसे ट्रेंकुलाइज करके पिंजड़े में कैद किया गया। बेहोशी के दौरान इस बाघिन को रेडियो कॉलर लगाया गया तथा बायोलॉजिकल सैंपल लेने के साथ हेल्थ पैरामीटर लिया गया। जांच में बाघिन पूरी तरह से स्वस्थ पाई गई। ऐसी स्थिति में इस अवयस्क बाघिन को पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र बडगडी में स्वच्छंद विचरण हेतु छोड़ा गया है। यह वन क्षेत्र हर दृष्टि से बाघिन के लिए अनुकूल और सुरक्षित है। यहां पानी भोजन व छिपने के लिए अच्छा जंगल सभी कुछ है। वनकर्मियों द्वारा बाघिन के व्यवहार व विचरण पर हर समय नजर रखी जा रही है।

सरस्वती शिशु मंदिर जबेरा के भैया बहनों ने किया नगर को गौरवान्वित

जबेरा। मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल वार्षिक परीक्षा परिणाम सत्र 2023- 24 में कक्षा पंचम से भैया शिवम साहू पिता हरगोविंद साहू ने 93% प्रतिशत अंक प्राप्त करके प्रथम स्थान प्राप्त किया भैया आदित्य पटैल पिता संतोष कुमार पटेल 88.75 प्रतिशत अंक प्राप्त करके द्वितिय स्थान व भैया रूद्र नामदेव पिता रामेश्वर नामदेव 88.25 प्रतिशत अंक प्राप्त करके तृतीय स्थान प्राप्त किया। कक्षा अष्टम से बहिन शुभी सैनी पिता मनोज कुमार सैनी ने 95.50 प्रतिशत अंक के साथ प्रथम भैया हर्षित साहू पिता विनोद साहू ने 91.17 प्रतिशत अंक प्राप्त करके द्वितिय स्थान व बहिन योग्यता गौंड पिता प्रताप सींग गौंड ने 89.33 प्रतिशत अंक के साथ तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसके साथ कक्षा दशम से बहिन स्नेहा लोधी पिता मुरारी लोधी ने 94 प्रतिशत अंक के साथ प्रथम बहिन मांशी सेन पिता रामेश्वर सेन ने 93 प्रतिशत अंक के साथ द्वितीय तथा मानसी प्यासी पिता तीरथ प्यासी ने 92.80 प्रतिशत अंक के साथ तृतीय स्थान प्राप्त किया। इन सभी भैया बहनों के बेहतर परिणाम के लिए सरस्वती शिशु मंदिर हाई स्कूल जबेरा प्राचार्य रमेश कुमार साहू ने सभी भैया बहनों को उपहार देते हुए व मिष्ठान से मुंह मीठा कराते हुए, ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। विद्यालय माधव शिक्षा समिति अध्यक्ष रूपेश सेन, व्यवस्थापक रविशंकर बाजपेई, कोषाध्यक्ष बेनी प्रसाद नामदेव व समस्त सदस्यों द्वारा प्राचार्य व समस्त आचार्य परिवार के प्रति साधुवाद ज्ञापित किया गया।

टाईगर रिजर्व की हथिनी मोहनकली ने नर हाथी को दिया जन्म, खुशी की लहर

पन्ना टाईगर रिजर्व में खुशियां एक बार फिर इस परिवार में सामने आई

पन्ना। पन्ना टाईगर रिजर्व में हाथियों का कुनवा अपने आप में यहां टाईगर रिजर्व की शान को लेकर जाना जाता है। इस कुनबे में नर हांथी को जन्म देने वाली हथिनी मोहनकली ने दिनांक 03 मई 2024 की शाम लगभग 4:30 बजे नर हांथी को जन्म दिया। वन परिक्षेत्र राजा बरिया कैम्प के कक्ष क्रमांक 394 में जहां यह खुशी आई निश्चितौर पर पन्ना टाईगर रिजर्व में नर हांथी के बच्चे के रूप में यह खुशी अपने आप में टाईगर रिजर्व परिवार तथा प्रकृति प्रेमी सभी के लिए अच्छी खबर सामने आई। निश्चित ही हांथियों के परिवार में कुनवे की बढ़ोतरी के लिए मादा हाथी इस परिवार में आगे भी जानी जायेगी। हांथियों के द्वारा समय-समय पर बाघों की सुरक्षा को लेकर जिस तरह से पार्क प्रबंधन के लिए जरूरी माना जाता है वहीं बाघों को क्षेत्र छुड़ाने व लौटाने में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तभी तो हमारे पन्ना टाईगर रिजर्व की शान को लेकर हांथियों के कुनबे को लेकर भी जाना जाता है।

पुलिस अधीक्षक साईकृष्ण एस. थोटा की कार्यप्रणाली को लेकर अलग ही दिशा तय करने को लेकर जानी जा रही

पन्ना। अपराधों को रोकने तथा खुशहाली से परिवार का जीवन जीये अवैध शराब तथा अवैध तरीके से मादक पदार्थों पर जोरदार कार्यवाहियां जनवरी से लेकर अप्रैल तक आंकड़े से हो रही बयां। अपराधों का घटित होना अवैध तरीके से शराब की विक्री को नकारा नहीं जा सकता। वहीं अवैध तरीके से मादक पदार्थ भी जो गांव हो या शहर जीवन को तबाही की ओर ले जाते है। हमारे जिले के पुलिस अधीक्षक साईकृष्ण एस. थोटा की कार्यप्रणाली जहां जिले के लिए खुशहाली की राह शांति तथा उन्नति के मार्ग के लिए परिवारों में बेहतर जीवन की दिशा तय हुई। यह देखने को मिली, निश्चित ही जिस तरीके से हमारे सम्पूर्ण जिले में प्राथकिता के तौर पर अवैध शराब को लेकर पुलिस की कार्यवाही देखने को मिली है। वह अपने आप में स्वयं ही बयां करती है। जनवरी से लेकर महज अप्रैल तक के ही आंकड़ों से नजर आ रही है। गौरतलब बात यह है कि अवैध शराब हो या मादक पदार्थ नशे से जहां जीवन तबाही की ओर दिशा तय करता है। वहीं अपराधों का घटित होना अधिकतर नशे के हालात से होता है। या जीवन अपने आप में तबाही लाता है परिवारों में कलह शराब व अवैध मादक पदार्थों से नशे के चलते जहां बर्बादी की राह तय करते है कई बार तो युवा भी हमारा अपने लक्ष्य से भटक जाते है। समूचे पन्ना जिले की बात करें तो वैसे तो पुलिस की नजर हर अपराध को रोकने के लिए या घटित हो जाने पर अपराध पर कार्यवाही तय होती है पर यहां दूरगामी सोच के चलते जिस तरीके से अवैध शराब को लेकर कार्यवाहियां हुई यह जनवरी से अप्रैल तक ही बात करें जिसमें देशी मदिरा की बात करें तो 2488.5 लीटर अनुमानित कीमत 1084970 रूपये वहीं अवैध शराब में ही विदेशी मदिरा 970.08 लीटर जिसकी कीमत 5 लाख 94 हजार 924 रूपये की सामने आई। वहीं महुआ लहान जिसे कच्ची शराब कहते है जिसकी मात्रा 2833 लीटर जिसकी कीमत 4 लाख 72 हजार 655 रूपये वहीं मादक पदार्थों की बात करें तो जनवरी से लेकर अप्रैल तक में ही 16 प्रकरण दर्ज हुए जिसमें 22 आरोपी जब्त गांजा की मात्रा 24.67 किलो जिसकी अनुमानित कीमत 3 लाख 32 हजार 400 रूपये है। यह आंकड़ा महज जनवरी से लेकर अप्रैल तक का सामने आया है। इसमें जो कार्यवाहियां हुई यह स्वयं ही साबित करती है कि जिले की खुशहाली के लिए सही दिशा देने के लिए हमारे जिले में हमारी सुरक्षा व जिंदगी की राह सही तय हो सके उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो उसके लिए यह कार्यवाहियां मानी जा रही है। गौरतलब बात यह है कि वैसे तो आबकारी विभाग भी जिल में काम करता है जो इसी के लिए बनाया गया। पर यहां पुलिस विभाग जो अपने दायित्वों के निर्वाहन के साथ-साथ इन कार्यवाहियों को अंजाम देने के लिए समूचे जिले में अपराध रोकने के लिए अपराधों में कमी लाने के लिए स्वस्थ्य जीवन के लिए युवाओं के नशे के हालात से बचाने के लिए परिवारों में कलह रोकने के लिए यानि की उन्नति का मार्ग तय हो भटके हुए मार्ग से सही दिशा में लाने के लिए यह एक दूरगामी बड़ी सोच के चलते कार्यवाही तय हो रही है। इससे कहीं न कहीं पुलिस अधीक्षक साईंकृष्ण एस. थोटा के मार्गदर्शन व अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती आरती सिंह के निर्देशन में समूचे थाना क्षेत्रों में जिले में कार्यवाहियां जो अवैध शराब व मादक पदार्थों पर फोकस करते हुए प्रमुखता से कार्यवाहियां की गई है वह सभी के लिए सुखद राह शांति के साथ उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेगा। अवैध तरीके से धड़ल्ले से जो शराब व गांजा विक्रय का कार्य होता था उस पर इन कार्यवाहियों के होने से जहां निश्चितौर पर माफियाओं के पसीने छूटे कारोबार बदले वहीं अब अपराधों में भी घटित होने को लेकर इस तरह की कार्यवाहियों से अंकुश जरूर लग रहा है। गौरतलब बात यह है कि विभाग प्रमुख की सोच के चलते ही कार्यप्रणाली अलग अदांज में जानी जाती है। एस.पी. साईंकृष्ण एस थोटा जिन्होंने 03 अगस्त 2023 को जिले की कमान संभाली थी। वहीं आपसे उम्मीदें भी जुड़ी हुई थीं समाज में पुलिस ही जहां एक नई दिशा देती है कानून का पालन कराये जाने को लेकर जिनके कंधों में देश भक्ति जनसेवा की जिम्मेदारी होती है आज हम अपने घरों में हो या सड़कों में सुख चैन निर्भय होकर इनकी बदौलत ही हम अपने जीवन को खुशहाली से जीते है। हमारी सुरक्षा को लेकर पुलिस की महती भूमिका होती है जो आज समूचे जिले में पुलिस अधीक्षक तथा अपर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन निर्देशन में इस तरह की खुशहाली के जीवन के लिए जो अवैध शराब व मादक पदार्थ को लेकर जो कार्यवाहियां हुई वह बड़ी मानी जाती है। तभी तो आज माफियाओं का राज खत्म हो रहा। सही तरीके से खुशहाली का जीवन मार्ग प्रशस्त हो रहा।

सुंगरहा मोड़ पर पुलिया से टकराई कार, फिर लगी आग, हादसे के बाद चालक हो गया फरार

कार में लोड थी शराब की पेटिया

गुनौर :हासिल जानकारी के अनुसार गुनौर थाना क्षेत्र के कटन रोड पर सुंगरहा मोड़ के पास की घटना है हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। कार नंबर एमपी 19 सी 5225 है ऐसे में अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि कार किसकी थी और उसे कौन चला रहा था। गुनौर थाना पुलिस कार चालक और उसके मालिक का पता लगाने का प्रयास कर रही है।राहगीरों ने बताया कि कार गुनौर से कटन की ओर जा रही थी।सुंगरहा मोड़ के पास पुलिया से टकराने के बाद उसमें आग लग गई।हादसे की सूचना राहगीरों ने गुनौर डाल 100 एवं फायर विकेट को दी गई। कुछ देर बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। कार में कितने लोग थे यहां बता पाना संभव नहीं है क्युकी मोके पर कोई भी व्यक्ति नहीं पाया गया घटना के बाद से ही फरार हो गए है।जब तक फायर ब्रिगेड पहुंची तब तक आग ने पूरी तरह कार को अपनी चपेट में ले लिया था। अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि कार किसकी थी और उसे कौन चला रहा था।कार में शराब की पेटीया थी जों कही ना कही क्षेत्र में सप्लाई करने हेतु या किसी अन्य जगह शराब पहुंचने जा रहा था कार में आग लगने के बाद चारों तरफ शारब की बोतल काफ़ी मात्रा में पडी हुई थी गुनौर थाना पुलिस कार चालक और उसके मालिक का पता लगाने का प्रयास कर रही है।

खबर संक्षेप

ट्रेन से कटकर किशोरी की दर्दनाक मौत

कोतमा। रेलवे स्टेशन से आधा किलोमीटर आगे रेलवे लाइन पर बुधवार को ट्रेन से कटकर 16 वर्षीय किशोरी अंजलि यादव पिता स्वामी दिन यादव की दर्दनाक मौत होने का मामला सामने आया है। उक्त घटना 1 मई को अंबिकापुर अनूपपुर मेमू ट्रेन से रात 8 बजे के आसपास घटित हुई जिसकी सूचना ट्रेन के गार्ड द्वारा स्टेशन मास्टर कोतमा को दी गई और स्टेशन मास्टर के द्वारा सूचना थाना कोतमा में दिए जाने पर पुलिस ने घटना स्थल पहुंच कर पंचनामा बनाते हुए पीएम के लिए भिजवाया। बताया जाता है कि किशोरी की मां का 1 वर्ष पूर्व ही निधन हो गया था। जिस कारण किशोरी अपनी बुआ के घर में रहती थी और अपने घर कल्याणपुर आई थी घटना का कारण अज्ञात है। पुलिस मर्ग कायम कर जांच कर रही है। किशोरी की मौत की खबर से पूरे बस्ती में सनसनी फैल गई।

फरार स्थाई वारंटी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

कोतमा। कोतमा न्यायालय से पिछले 4 वर्षों से फरार स्थाई वारंटी को पुलिस ने बुधवार को पकड़ा है। पकड़े गए वारंटी प्रदीप सिंह गोंड 38 वर्ष पिता मोती लाल सिंह निवासी पौराधार के खिलाफ थाना कोतमा में शासकीय सेवक के साथ मारपीट, शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने सहित जान से मारने की धमकी को लेकर धारा 294, 353, 332, 506 आईपीसी में केस दर्ज है। न्यायालय में पिछले कई वर्षों से पेशी में न जाते हुए फरार रहने पर न्यायालय से स्थाई वारंट जारी किया गया था और वारंटी को पकड़ने में उपनिरिक्षक पुष्पराज सिंह, आरक्षक प्रदीप यादव, दिनेश किराडे शामिल रहे।

22 स्थानों से 153 लीटर अवैध शराब जप्त

शहडोल। पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक द्वारा शहडोल जिले में शराब की अवैध बिक्री की रोकथाम हेतु विशेष अभियान चलाया जाकर सभी थाना प्रभारियों को अधिक से अधिक अवैध रूप से शराब की बिक्री करने वालो के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु दिशा निर्देश दिये गए थे। जिसके पालन में 01 मई को अवैध शराब बिक्री करने वालो के विरुद्ध थाना प्रभारियों द्वारा कार्यवाही कर 22 स्थानों पर दबिश देकर कुल 153 लीटर कच्ची महुआ जप्त की गई।

वाहन मालिक उप वनमण्डल में अपना पक्ष रखें अन्यथा एक पक्षीय कार्यवाही होगी

उमरिया। प्राधिकृत अधिकारी एवं उप वन मण्डल अधिकारी उप वनमण्डल ने बताया कि प्रकरण में 2 अप्रैल को 2023 को हीरो होण्डा मोटर सायकल क्रमांक एमपी 18 एमबी 0561 को, बिना नंबर की मोटर सायकल 12 सितंबर 2023 को जप्त की गई है। दोनो वाहन के वाहन मालिक प्रकरण जांच से लेकर अधिहरण कार्यवाही के दौरान उपस्थित नहीं हो रहे है । सुखदेव पिता चुलबुल केवट रिजनल आफिस सीबीएल जिला शहडोल की हीरो होण्डा सीडी डिलक्स क्रमांक एमपी 18 एमबी 0561 को वन कक्ष क्रमांक आरबी 802 54, ग्राम दुलहरी से विंध्या कालोनी सडक मार्ग पर बिना नंबर की हीरो होण्डा मोटर सायकल को वन अपराध में संलिप्त पाए जाने पर 20 अगस्त 2023 को जप्त किया गया । वन अपराध प्रकरण जांच के दौरान एवं अधिहरण कार्यवाही के दौरान बारंबार सूचना दिए जाने के उपरांत भी वाहन मालिक उपस्थित नहीं हुए। वाहनो के मालिको को सूचित किया गया है कि 20 मई तक या उससे पूर्व कार्यालयीन समय में कार्यालय उप वन मण्डकलाधिकारी उप वनमण्डल उमरिया में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखे, अन्यथा अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए वाहन को अधिहरण राजसात किया जाएगा।

अजुंमन कमेटी के भूमि पर अवैध कब्जा

कोतमा। नगर के बाजार क्षेत्र में वक्फ बोर्ड अजुंमन कमेटी के भूमि पर अवैध तारिके से मकान बनाकर कबजा कर रखे है अजुंमन कमेटी के अध्यक्ष मो.अहमद एवं कमेटी के सदस्यों ने लिखित आवेदन थाना कोतमा एसडीएम कोतमा एवं दिलीप जयसवाल मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड अध्यक्ष को दिया गया है कि इरशाद अहमद ने अजुंमन कमेटी के भूमि पर अवैध निर्माण कर कब्जा कर रखा है, जबकि इरशाद अहमद वक्फ बोर्ड जिला अनूपपुर का अध्यक्ष जिसमे मस्जिद निर्माण है उसके बगल से मस्जिद मे आने जाने का रास्ता है जिसमे नमाज करने वालो को काफी परेशानी होती है इरसाद कब्जा किये गये जमीन को खाली कराये जाने एवं वक्फ बोर्ड के जिलाध्यक्ष को पद से हटाये जाने की मांग की गई है।

जांच टीम पहुंचने पर भी बेखौफ नजर आये क्रेशर संचालक, नियमों के प्रति सजग नहीं

खनिज इंस्पेक्टर ने कहा : 8 क्रेशर को नोटिस जारी, निर्देशों का पालन न होने तक बंद रखें

कलेक्टर के निर्देश के बाद खनिज इंस्पेक्टर, तहसीलदार, आरआई की टीम पहुंची क्रेशरो का निरीक्षण करने

बक्सवाहा। क्रेशर संचालको के द्वारा लगातार नियमों की धजियां उड़ाकर क्रेशर संचालित किये जा रहे। जिसके बिरोध में लगभग चार गांवों के लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से कलेक्टर के समक्ष गुहार लगाई थी। उसके बाद भी क्रेशर संचालकों के रवैये मे सुधार न होने पर ग्राम पंचायत केरवारा द्वारा नोटिस जारी कर पानी का छिडकाओ करने की बात कही थी। ग्राम पंचायत के नोटिस के बाद भी क्रेशर संचालकों के रवैये व कार्यशैली मे कोई बदलाव नही आया और बेखौफ होकर क्रेशरो पर नियम की धज्जियाँ उडाते हुये काम जारी रहा।

कलेक्टर के निर्देश के बाद सहायक खनिज अधिकारी रामाकांत तिवारी व तहसीलदार भरत पांडेय ने अपनी टीम सहित सभी 8 क्रेशरों का निरीक्षण किया। सभी को नोटिस जारी करने के लिए कहा है। जब सहायक खनिज अधिकारी क्रेशरों का निरीक्षण कर रहे थे तो आठ क्रशरों में से सिर्फ एक क्रेशर पर क्रेशर संचालक मौजूद थे। बाकि संचालक इतने मद में मस्त है कि अन्य जगह पर कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति उपस्थित नहीं था। आलम ऐसा था कि खनिज इंस्पेक्टर की बात को कोई भी गंभीरता से नहीं लें रहा था। निरीक्षण के दौरान खनिज इंस्पेक्टर ने पाया कि आठ क्रेशरों में से किसी भी क्रेशर की खदान पर बॉउंड्रीबाल नहीं है। एक या दो क्रेशर को छोडकर किसी भी क्रेशर ने पेड़ पौधे नहीं लगाए हैं। पानी का छिड़काव भी नहीं हो रहा है।

शर्मा स्टोन क्रेशर पर खनिज इंस्पेक्टर ने जांच करने के दौरान सीधा कहा कि जब तक नियमानुसार क्रेशर पर सभी बिन्दुओं पर काम नहीं होगा तब तक क्रेशर बंद रखो। कलेक्टर के निर्देश पर जॉच तो हो गयी, लेकिन क्रेशर संचालकों के रवैये को देख कर लगा नही की उनके ऊपर इस जॉच का कोई असर हुआ है।

इनका कहना है -

कलेक्टर के निर्देश के बाद मौके पर पहुंचकर जांच की गयी। सभी क्रेशरो को नोटिस जारी कर सभी नियमो का पालन करने के निर्देश दिये गये है। जब तक नियमो को पूरा नही करते, तब तक क्रेशरो को बंद रखने को कहा गया है।

रमाकांत तिवारी

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के विशेष मॉनिटर ने जिला अस्पताल, जेल सहित विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया

छतरपुर। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के विशेष मॉनिटर बालकृष्ण गोयल के द्वारा शुक्रवार को छतरपुर जिले के ग्राम गंज के आंगनवाड़ी केन्द्र, जिला अस्पताल, जिला जेल, छतरपुर शहर के स्तुति बाल गृह सहित विभिन्न स्थानों पर निरीक्षण किया गया। आयोग के विशेष मॉनिटर श्री गोयल ने जिला चिकित्सालय के इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण किया। साथ ही गायनी ओपीडी अल्ट्रासोनोग्राफी आदि का निरीक्षण किया। उन्होंने शौचालय में साफ-सफाई में कमी पाए जाने पर सफाई एजेंसी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। इसके अलावा चिकित्सालय के किचन में खाने की गुणवत्ता को चेक किया। साथ ही लेबर रूम एसेंशियल का निरीक्षण कर चिकित्सालय की विभिन्न व्यवस्थाओं को देखा और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसी क्रम में विशेष मॉनिटर श्री गोयल द्वारा जिला जेल छतरपुर का निरीक्षण किया गया। उन्होंने जेल में महिला एवं पुरुष बंदी गृह का निरीक्षण किया। साथ ही जेल की पाकशाला का निरीक्षण कर बंदियों का दिए जा रहे भोजन की गुणवत्ता एवं पेयजल की व्यवस्था को देखा। उन्होंने बंदियों से चर्चा करते हुए जेल प्रशासन के व्यवहार एवं जेल में किसी तरह की समस्या तो नही आदि जानकारी ली। उन्होंने जेलर को निर्देशित किया कि बंदियों के लिए जेल में ही 5 बेड का अस्पताल बनाने की पहल करें।

एसपी अगम जैन देर शाम पहुंचे नौगांव

नगर भ्रमण कर व्यापारियों से बात कर समस्या को समझा, यातायात पुलिस की मांग रखी

नौगांव। जिला पुलिस अधीक्षक अगम जैन हरपालपुर, अलीपुरा भ्रमण के बाद गुरुवार देर शाम नौगांव पहुंचे। एसपी जैन ने नौगांव पहुंचकर शहर भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान एसपी ने बाजार में व्यापारियों को होने वाली समस्या को देखते हुए बात करके उन्हें निराकरण कराने की बात कही है।

नौगांव अनुविभाग क्षेत्र के हरपालपुर, अलीपुरा थाना क्षेत्र का भ्रमण करने के बाद गुरुवार देर शाम एसपी अगम जैन नौगांव पुलिस थाना पहुंचे। जहां पर पहले तो उन्होंने एसडीओपी चंचलेश मरकाम के साथ मिलकर थाना में पदस्थ स्टाफ एवं अधिकारियों से बातचीत करते हुए थाना क्षेत्र की गतिविधियों को समझा। थाना के रोजनामचा सहित अन्य दस्तावेज एवं लंबित प्रकरणों में फरार आरोपियों को जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश दिए। इसके बाद एसपी अगम जैन ने टीबी अस्पताल चौराहे से पैदल भ्रमण करते हुए पुलिस के साथ फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च के दौरान एसपी जैन निगरानी बदमाश शेख आफताब के घर पहुंचे और उसकी दिनचर्या के बारे में जानकारी लेते हुए अपराधों से दूर रहने की समझाईस दी। इसके बाद एसपी ने निगरानी बदमाश सिकंदर सहित अन्य पुराने निगरानी बदमाशों को अपराध से दूर रहने की समझाइश दी। इसके बाद एसपी का काफिला शहर भ्रमण करते हुए मुख्य बाजार पहुंचा जहां पर उन्होंने व्यापारियों से बात करते हुए बाजार में होने वाली समस्या को समझते हुए उन्हें निराकरण कराने का आश्वासन भी दिया। इसके बाद एसपी का भ्रमण दल कोठी चौराहे पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए पुलिस और जनता के मध्य समन्वय स्थापित करने सहित कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के संबध में अधिकारियों को निर्देशित किया।

नरवाई जलाने के परिणाम आत्मघाती नरवाई नहीं जलाएं : कलेक्टर छतरपुर

छतरपुर। कलेक्टर छतरपुर संदीप जी.आर. ने कृषकों से अपील करते हुए कहा कि फसल काटने के बाद बचे अवशेष नरवाई को जलाने से न सिर्फ वातावरण के तापमान में वृद्वि होती है। बल्कि इसके दुष्परिणाम से मृदा जनित समस्याओं से जूझना पड़ता है। नरवाई जलाने के परिणाम किसानों के लिये आत्मघाती है। नरवाई के धुएं से कार्बनडाइ ऑक्साइड उत्पन्न होती है। जिससे वातावरण का तापमान भी दूषित होता है। इसलिए कृषक नरवाई जलाने के अपेक्षा फसल अवशेष को एकत्र करते हुये जैविक खाद भू-नाडेप, वर्मी पोस्ट बनाये जाये। यह खाद पोषक तत्व से भरपूर होती है। किसान रोटा वेटर चलाकर खेतों की गहरी जुताई करते हुये नरवाई को नष्ट कर मिट्टी में मिलाये। इससे मृदा के भौतिक, संरचना, पारग यता, जल धारण क्षमता एवं तापमान में सुधार होता है। जमीन की कार्बनिक पदार्थ की उपल धता में वृद्वि होने से जमीन को उपजाऊ बनाया जा सकता है। डॉ. सुरेश पटेल उपसंचालक कृषि छतरपुर ने बताया कि नरवाई जलाने पर अन्य भीषण दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। नरवाई जलाने के दौरान किसी प्रकार की घटना घटित होने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध राजस्व अधिकारों के तहत कानूनी कार्यवाही हो सकेंगी। इसके अलावा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के प्रावधान के अनुसार किसान खेत में फसल अवशेष जलाने या जलाते हुये पाये जाने पर उसके खिलाफदण्डात्मक कार्यवाही के साथ-साथ जुर्माना लगाने का प्रावधान भी है। जिसमे 1 एकड़ से कम भूमि धारक किसानों से 2500 रुपए प्रति घटना, 2 एकड़ से अधिक किंतु 5 एकड़ से कम भूमिधारक किसानों से 5000 रुपए प्रति घटना और 5 एकड़ से अधिक भूमि धारक किसानों से 15000 हजार प्रति घटना जुर्माना वसूल किए जाने का प्रावधान है। ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और कार्बन डाई ऑक्साइड बढ़ जाती है। जिससे वायु प्रदूषण होता है। प्रति एकड़ 10 से 15 क्विंटल भूसा और खेत में बिखरी बालियों का करीब 1 क्विंटल गेहूं जलकर नष्ट हो जाता है। जो जीवाणु जमीन को उर्वरक बनाते हैं, वे जलकर नष्ट हो जाते हैं।

नरवाई जलाने से मिट्टी में पाया जाने वाला राइजोबिया बैक्टीरिया भी मर जाता -

डॉक्टर एस. के. पटेल उपसंचालक कृषि ने बताया कि किसान इन दिनों कटाई के बाद खेतों में नरवाई जला रहे हैं। इससे वायु प्रदूषण के साथ-साथ जमीन को भी नुकसान पहुंचता है। नरवाई का धुंआ उड़ता हुआ वायुमंडल में आ जाता है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। नरवाई जलाने से किसानों को भी नुकसान होता है। केंचुआ को किसानों का दोस्त माना जाता है। क्योंकि यह जमीन को भुरभुरा बनाता है। जिससे उसकी उर्वरक शक्ति बढ़ती है, लेकिन नरवाई जलाने से केंचुआ मर जाता है। नाइट्रोजन पहुंचाने वाली बैक्टीरिया मर जाती है। नरवाई जलाने से खेत की मिट्टी में पाया जाने वाला राइजोबिया बैक्टीरिया भी मर जाता है। यह बैक्टीरिया पर्यावरण की नाइट्रोजन को जमीन में पहुंचाता है। जिससे खेत की पैदावार क्षमता बढ़ती है।

खुद के फंसने के डर से दोस्त ने रची थी झूठी रिपोर्ट की साजिश

पीड़ित ही निकला गोलीकाण्ड का आरोपी

छतरपुर। राजनगर थाना अंतर्गत 27 अप्रैल 2024 को रानीपुरा गांव के रहने वाले एक व्यक्ति के हाथ में गोली लगी थी जिसका जिला अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। उक्त घटना के बाद एसपी ने पुलिस अधिकारियों को बारीकी से निरीक्षण कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। संपूर्ण घटनाक्रम का शुक्रवार को पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने खुलासा किया है।

पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने बताया कि सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना प्रभारी राजनगर ने स्वयं जिला अस्पताल पहुँच कर फरियादी भागचंद्र पटेल पिता मुलुआ पटेल निवासी रानीपुरा से पूँछताछ की। घायल द्वारा बताया गया कि वह जब रानीपुरा नहर की पुलिया पर बैठे थे उसी समय दो अज्ञात व्यक्ति मोटर साईकिल से रानीपुरा गाँव तरफ से आये दोनो अपना मुँह बांधे थे उनके द्वारा भागचंद्र पटेल पर गोली चलाई थी जो भागचंद्र द्वारा अपना वाये हाथ अड़ा देने से गोली बायें हाथ में लग गई। दोनो भागचंद्र पटेल को गालियां देते हुये वहा से चले गये जिससे फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना राजनगर मे अपराध क्रमांक 154/24 धारा 307,294,34 ताहि. का अज्ञात दो व्यक्ति के विरूद्ध पंजीवद्ध कर विवेचना मे लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक अगम जैन द्वारा थाना प्रभारी राजनगर उपनिरी सिद्धार्थ शर्मा के नेतृत्व में उक्त अज्ञात व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिये टीम गठित की गई। मुखबिर की सूचना व साक्षियों के कथन आधार पर फरियादी भागचंद्र पटेल के साथी राजेश कुशवाहा से कड़ाई से पूँछताछ की गई जिसके द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा उक्त दिनाक को भागचंद्र को कट्टा देखने लिए दिया था, भागचंद्र के द्वारा कट्टा खोलते समय धोखे से कट्टा से फायर हो गया जो भागचंद्र के हाथ में लगा। खुद के फ़सने के डर से भागचंद्र व राजेश कुशवाहा ने दो अज्ञात लोगों के विरूद्ध झूठी रिपोर्ट करने की योजना बनाई। झूठी रिपोर्ट की घटना में प्रयुक्त कट्टा राजेश कुशवाहा से जप्त हो गयाहै। वहीं भागचंद्र इलाजरत है। भागचंद्र और राजेश कुशवाहा के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। झूठी योजना के साथी आरोपी राजेश कुशवाहा को न्यायालय पेश कर जेल भेजा गया है।

स्वयं अपराध कर अन्य के विरुद्ध अपराध मढ़ित करने की योजना रचकर झूठी रिपोर्ट करने वाले दोनों आरोपियों के विरुद्ध प्रथक से आयुध अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाहियां की जा रही हैं। उक्त कार्यवाही मे थाना प्रभारी राजनगर सिद्धार्थ शर्मा, उपनिरी मनभरन सिंह, सउनि स्वामी सिंह प्र.आर. सूर्यप्रकाश वाजपेई प्र.आर. हेमराज यादव आर. शिवकुमार आर. संजय आर. शत्रुघन आर. अमन खान साईवर सैल से आर. विजय सिंह आर. धर्मराज की विशेष भूमिका रही है।

दो दिन पूर्व हुए हत्या के मामले के सभी 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल

लवकुशनगर। थाना अंतर्गत गुढा गांव के हल्के सिंह व उसके परिवार के कई लोगों ने एक राय होकर पुरानी रंजिश के चलते बासुदेव सिंह, राजेंद्र सिंह, रोहित सिंह के साथ जान से मारने की नीयत से फरसा डंडे से मारपीट की है, रिपोर्ट पर थाना लवकुशनगर में धारा 147, 148, 149,307,323,302 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर पीड़ित को चिकित्सीय उपचार हेतु अस्पताल पहुंचाया गया।

पुलिस अधीक्षक ने सभी आरोपियों की अतिशीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिए गए थे। शेष बचे आरोपीगणों की तलाश की जा रही थी जिसमें पूर्व में पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। शेष बचे आरोपियों की तलाश की गई। तलाश में आठ आरोपी फूलन सिंह उर्फ फूल सिंह पिता मुलायम सिंह परिहार उम्र 36 साल, हीरु उर्फ बबलू सिंह पिता हल्के सिंह बनाकर उम्र 26 साल, विकास सिंह पिता पहलवान सिंह परिहार उम्र 19 साल, पहलवान सिंह पिता मुलायम सिंह उम्र 50 साल, लाल उर्फ रामचंद्र सिंह पिता हल्के सिंह परिहार उम्र 32 साल, राम बहादुर सिंह पिता पप्पू उर्फ बलवान सिंह उम्र 26 साल, गोलू और अजय सिंह पिता हल्की सिंह परिहार उम्र 19 साल सभी निवासीगढ़ ग्राम गुढा खुर्द थाना लवकुशनगर को विगत रोज गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी गणों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त डंडे जप्त कर न्यायालय में पेश किया गया। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक प्रशांत सेन, उप निरीक्षक ज्ञान सिंह सहायक उप निरीक्षक जेपी अहिरवार, प्रधान आरक्षक बुद्ध सिंह, अनीस अहमद पुरुषोत्तम विश्वकर्मा माता बादल पटेल एवं आरक्षक रमाकांत तिवारी, उमेश वर्मा, हृदेश नायक, देव सिंह, सूरज शर्मा, चांद खान, बनमाली एवं विकास सिंह अमित चंदेल राहुल चौहान की अहम भूमिका रही।

पुलिस ने दो पिस्टल, दो देशी तमंचा सहित चार लोगों को पकड़ा

छतरपुर। पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने अवैध हथियार रखने वाले आरोपी एवं अवैध हथियार का स्त्रोत पता कर संबंधित अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही हेतु समस्त थानों को निर्देशित किया है। इसीक्रम में सिटी कोतवाली पुलिस ने अंतर्राज्जीय अवैध हथियार के तस्कर सहित चार आरोपियों को पिस्टल, देशी तमंचा एवं जिंदा कारतूस सहित पकड़ा है।पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने शुक्रवार को पुलिस कंट्रोल रूम में खुलासा करते हुए बताया कि थाना कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि हाउसिंग बोर्ड कालोनी संकट मोचन के पास अजीज मोहम्मद काफी दिनों से अवैध हथियार खरीदकर क्षेत्र में उनका विक्रय कर रहा है। थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक अरविंद कुजूर एवं गठित पुलिस टीम द्वारा दिनाँक 02 मई को सूचना की तस्दीक करने पर मुख्य आरोपी अजीज मोहम्मद पिता फारूख मोहम्मद, उम्र 38 वर्ष, निवासी हाउसिंग बोर्ड कालोनी संकट मोचन रोड छतरपुर को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर उसके द्वारा छतरपुर शहर व ग्रामीण क्षेत्र में कई व्यक्तियों को खरगौन से अवैध हथियार लाकर उनका विक्रय करने की बात बताई गई। मुख्य आरोपी अजीज मोहम्मद के कब्जे से एक 315 बोर का देशी कट्टा एवं एक 315 बोर का जिंदा कारतूस कीमती करीबन 41,00/- रूपये के जप्त कर आरोपी के विरूद्ध 25/27 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही कर गिरफ्तार किया गया। मुख्य आरोपी अजीज पर थाना सिविल लाइन में जुआ, दिल्ली में अवैध हथियार संबंधी अपराध तथा आरोपी नीरज पर थाना गढ़ी मलहरा में पहले से अपराध पंजीबद्ध है।

इसी तरह नीरज कुशवाहा पुत्र अमान कुशवाहा उम्र 24 वर्ष निवासी गढ़ीमलहरा थाना क्षेत्र के ग्राम बदुआ को राजनगर तिगैला के पास से 315 बोर का कट्टा, कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरा आरोपी रामकरण पुत्र रामप्रकाश बसोर उम्र 21 वर्ष निवासी टौरिया मोहल्ला को बस स्टेण्ड क्रमांक 2 शराब ठेका के पास से 25 बोर की पिस्टल, जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा गया है। इसी तरह भागचन्द्र पुत्र संतोष कुशवाहा उम्र 21 वर्ष गढ़ीमलहरा थाना क्षेत्र के उर्दमऊ का रहने वाला है। पुलिस ने इसे गुरूद्वारा के पास स्थित गली से अवैध 25 बोर की पिस्टल जिंदा कारतूस के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सभी गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही में निरी. अरविंद कुमार कुजूर टी.आई. कोतवाली छतरपुर, उनि. रामसिया चौधरी, उनि. राहुल शुक्ला, उनि. ख्रिस्टोफर टोप्पो, सउनि. दारा सिंह प्रधान आरक्षक-राजेश पाठक, राजेश अहिरवार, अजय गुप्ता, लखन लाल, रफीक हसन, पवन कुमार, गोरेलाल सिंह, आरक्षक-उमेश अग्निहोत्री, सौरभ तिवारी, आशीष खरे, राजीव सिंह, बी.डी. यादव, अजय मिश्रा, राजबहादुर कुशवाहा, राजकुमार राजपूत, भागचन्द्र अहिरवार सतेन्द्र सिंह तोमर, बीरेन्द्र सिंह, कपीन्द्र सिंह एवं प्रधान आरक्षक चालक अशोक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

खबर संक्षेप

सराफा व्यापारी लाखों के जेवर लेकर हुआ रफूचक्कर

रीवा । जिले से विश्वविद्यालय क्षेत्र अंतर्गत एक सोना व्यापारी ने सोना चांदी साफ करने के बहाने लाखों के जेवर भाग गया। जानकारी के अनुसार सर्राफा व्यापारी लगभग 5 से 6 लाख कीमती सोना चांदी लेकर फरार हो गया है फरियादी संध्या पांडे ने घटना की शिकायत विश्वविद्यालय थाने में दर्ज कराई है संध्या ने जानकारी देते हुए बताया कि श्रीकांत सोनी सराफा मार्केट में कारीगरी की दुकान का संचालन करता है और घर से सारा काम करता है। कई वर्षों से वह सोनी चांदी लेनदेन का काम करता था। जिसके चलते भरोसे के साथ सोने चांदी से संबंधित सारा काम उन्हीं से करवाते थे।उसने सोना चांदी साफ करने के बहाने लाखों के जेवर हमसे लिए और फरार हो गया। संध्या ने बताया हमने कई बार फोन लगाने का प्रयास किया लेकिन उसने फोन नहीं उठाया इसके बाद हम उसके घर गए लेकिन पता चला कि वह दो दिनों से घर से फरार है वही संध्या के पति ने उसे कार लेकर भागते देखा लेकिन आरोपी निकर को रेलवे स्टेशन के पास खड़ी किया और वहां से फरार हो गया वहीं घटना के संबंध में पुलिस द्वारा जांच की जा रही है।

खुले बोरवेल की सूचना देने पर मिलेगा एक हजार का ईनाम

रीवा। जिले भर में अभियान चलाकर अनुपयोग और खुले बोरवेल बंद कराए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जनपद पंचायत तथा पीएचई विभाग एवं शहरी क्षेत्रों में नगरीय निकाय बोरवेलों का सर्वेक्षण कर रहे हैं। अनुपयोगी तथा खुले बोरवेलों को बंद कराया जा रहा है। इस संबंध में कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने बताया कि आपदा प्रबंधन के लिए जिले में हेल्पलाइन नम्बर पर खुले बोरवेल, नलकूप एवं ट्यूबवेल के संबंध में जानकारी दी जा सकती है। इसका मोबाइल नम्बर 7648862100 है। इस पर खुले बोरवेल की फोटो अथवा वीडियो सहित सूचना देने वाले को एक हजार रुपए का ईनाम दिया जाएगा। साथ ही बोरवेल के मालिक के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करके कार्यवाही की जाएगी। जिला प्रबंधक लोक सेवा केन्द्र रविकांत पाण्डेय को इस कार्य के लिए नोडल नियुक्त किया गया है।

रक्तदान शिविर आज

रीवा । म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री सुबोध कुमार जैन के मार्गदर्शन एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री आशीर्वाद भिलाला के नेतृत्व में 4 मई को न्यायालय परिसर रीवा में प्रातः 11 बजे से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। जिला विधिक सहायता अधिकारी ने आमजन से अनुरोध किया है कि रक्तदान शिविर को रक्तदान जैसे पुनीत कार्य में रक्तदान कर सहयोग प्रदान करें।

जिले की प्रतिभाओं का कलेक्टर ने किया सम्मान

रीवा। भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा में जिले की प्रतिभाओं का कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने सम्मान किया। कलेक्टर ने रीवा शहर की निवासी वेदिका बंसल एवं रायपुर कर्चुलियान अन्तर्गत पुरवा ग्राम के रहने वाले अंकेश वर्मा को सम्मानित किया गया तथा कलेक्टर ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए उज्वलल भविष्य की कामना की। उल्लेखनीय है कि यूपीएससी की वर्ष 2023 की परीक्षा में वेदिका बंसल ने 96वीं रैंक तथा अंकेश वर्मा ने 813 वीं रैंक प्राप्त की है। कलेक्टर ने इस अवसर पर कहा कि प्रतिभाएं अपना राह स्वयं चुन लेती हैं। रीवा जिले में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। यहां के लोग हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहे हैं और अपने जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने वेदिका व अंकेश को उनके उज्वलल भविष्य की कामना करते हुए उनकी सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की तथा कहा कि उनसे प्रेरणा लेकर अन्य युवा की प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होंगे। कलेक्टर ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी से कहा कि चयनित प्रतिभाओं के प्रेरणादायक ओरियेंटेशन कार्यक्रम आयोजित करायें जिससे अन्य युवा भी प्रेरणा ले सकें।

नल-जल योजनाओं से पानी की नियमित आपूर्ति करें

योजनाओं से लाभान्वित गांवों में जागरूकता अभियान चलाएं - कलेक्टर

कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने जलजीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा समूह नल-जल योजनाओं के कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा कराएं।

रीवा

पूर्ण नल-जल योजनाओं को ग्राम जल स्वच्छता समिति से संचालित कराकर ग्राम पंचायतों को हैण्डओवर करें। जिन गांवों में नल-जल योजना का कार्य पूरा हो गया है वहाँ पानी की नियमित आपूर्ति करें। छूटे हुए मजरे टोले में पाइपलाइन पहुंचाने के लिए स्वीकृत पूरे प्रस्तावों के अनुसार निर्माण कार्य कराएं। नल-जल योजना से लाभान्वित गांव में जागरूकता अभियान चलाकर आमजनों को नल-जल योजना के लाभों, पानी की गुणवत्ता की जानकारी दें। आमजनता को ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित जल कर की राशि जमा करने के लिए प्रेरित करें। जल जीवन मिशन से स्वीकृत निर्माण कार्यों को तेजी से पूरा कराएं।

कलेक्टर ने कहा कि कंदैला समूह नल-जल योजना से प्रस्तावित 113 में से 109 गांवों में पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। शेष गांवों में भी एक माह में निर्माण कार्य पूरा करके पानी की आपूर्ति कराएं। इसकी सभी टंकियों में प्रतिदिन पूरी मात्रा में पानी भरने की मॉनीटरिंग करें। सलैया, पुरैना, बक्छेरा, पैपखार, बरहा, कटकी आदि गांव में भी समय सीमा में निर्माण कार्य पूरा कराएं। गांव की हर बसाहट में नल से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करें। बाणसागर समूह नल-जल योजना में अभी तक 212 गांवों में सर्वे का कार्य किया गया है। शेष गांवों में भी बेसलाइन सर्वे तत्काल शुरू कराएं। रीवा बाणसागर समूह नल-जल योजना तथा टमस समूह नल-जल योजना के कार्य तेजी से पूरा कराएं। सभी एसडीएम टंकी निर्माण के लिए निर्माण एजेंसी को तत्काल जमीन चिन्हित कर उपलब्ध कराएं।

कलेक्टर ने कहा कि जल जीवन मिशन की निर्माण एजेंसियाँ अन्य विभागों से समन्वय करके नल-जल योजना के कार्य पूरे कराएं। परियोजना में शामिल प्रत्येक ग्राम पंचायत में किए जा रहे निर्माण कार्य की जानकारी उपलब्ध कराएं। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विभिन्न विभागों को जल जीवन मिशन के निर्माण कार्यों के संबंध में निर्देश जारी करें। जल जीवन मिशन से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही सड़क, नाली निर्माण, नहर निर्माण जैसे कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति जारी करें। किसी भी स्थिति में पेयजल की पाइपलाइन को क्षतिगस्त न करें। जल जीवन मिशन की निर्माण एजेंसियाँ पाइपलाइन में उचित संकेतक लगाएं।

बैठक में जल जीवन मिशन के जिला समन्वयक चित्रांशु ने बताया कि कंदैला नल-जल योजना से अक्टूबर माह से 109 गांवों में पानी की आपूर्ति की जा रही है। जिन गांवों में पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई है वहाँ आंशिक आपूर्ति की जा रही है। छूटी हुई बसाहटों में पानी की सुविधा देने के लिए 25 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जा रही है। बाणसागर समूह नल-जल योजना में इंटेक वेल का कार्य किया जा रहा है। अन्य योजनाओं में भी इंटेक वेल, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तथा टंकियों का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। कुछ स्थानों में सड़क तथा दो स्थानों में रेलवे लाइन को क्रास करने के लिए प्रस्ताव संबंधित विभागों को अनुमति के लिए भेजे गए हैं। समूह नल-जल योजनाओं के मुख्य निर्माण स्थल में विद्युत सब स्टेशन बनाने के लिए 129 करोड़ रुपए का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। इसमें 60 किलोमीटर हाईटेंशन बिजली की लाइन का भी निर्माण कार्य शामिल है। बाणसागर टमस समूह नल-जल योजना में टंकियों का निर्माण कार्य अन्य योजनाओं की तुलना में पीछे है। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ सौरभ सोनवणे, सभी एसडीएम, जल जीवन मिशन के अधिकारी तथा निर्माण एजेंसियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

टीआरएस महाविद्यालय के सैकड़ों साथियों ने ग्रहण की एनएसयूआई की सदस्यता

रीवा ।

भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन जो कि कांग्रेस पार्टी की छात्र शाखा है कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से सैकड़ो साथियों ने प्रभावित होकर एनएसयूआई जिला अध्यक्ष पंकज उपाध्याय के हाथो एनएसयूआई की सदस्यता ग्रहण की है। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष पंकज उपाध्याय ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन जो की कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से छात्र हित में लगातार काम करती है उससे टीआरएस कॉलेज के कई छात्र प्रभावित होकर एनएसयूआई की सदस्यता ग्रहण की है और सदस्यता ग्रहण के दौरान दो इकाई अध्यक्षों की भी नियुक्ति की गई जिसमे निष्कर्ष मिश्रा को महाविद्यालय का इकाई का अध्यक्ष वा वैष्णवी सिंह को महिला विंग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है,

सदस्यता के दौरान एनएसयूआई जिला संगठन मंत्री शिवम मिश्रा जिला उपाध्यक्ष मानवेंद्र सिंह, टीआरएस महाविद्यालय पूर्व द्वय अध्यक्ष प्रतीक द्विवेदी वा वैशाली मिश्रा,चिरहुला ब्लॉक अध्यक्ष संस्कार त्रिपाठी मौजूद रहे,सदस्यता लेने वालो में प्रमुख रूप से ऋषभ द्विवेदी शिवम तिवारी अमन वर्मा सीपी मिश्रा शिवम पांडे अहेद खान हिमांशु तिवारी सुजल सिंह ऋतिक तिवारी सागर पांडे शिवेंद्र मिश्रा ओम तिवारी पलक तिवारी आकांक्षा यादव प्राची वर्मा शैलजा मिश्रा आदि सैकड़ों की संख्या में छात्र मौजूद रहे।

30 दिवसीय प्रस्तुति परक अभिनय नाट्य कार्यशाला आरम्भ

रीवा

मण्डप सांस्कृतिक शिक्षा कला केंद्र रीवा की प्रतिष्ठित नाट्य संस्था है, प्रतिवर्ष की भांति ग्रीष्मकालीन नाट्य कार्यशाला का आयोजन दिनांक 1 मई से श्रमजीवी पत्रकार भवन, कला मंदिर में सुबह 10:00 बजे से 2:00 बजे तक चल रही है। कार्यशाला में आयु का बंधन नहीं है कार्यशाला में नाट्य मंचन के विभिन्न आयामों के बारे में प्रशिक्षणार्थी सीख रहे हैं इस कार्यशाला में प्रमुख रूप से अभिनेता और चरित्र की तैयारी, नेपथ्य के अभ्यास, कलाकारों को प्रदान की जा रही है। कार्यशाला का निर्देशन विनोद कुमार मिश्रा कर रहे है उन्होंने बताया की कार्यशाला के दौरान कलाकार नाट्य अध्ययन, शारीरिक गतियाँ, रूपसज्जा , वस्त्र विन्यास, प्रकाश परिकल्पना, मंच परिकल्पना , मंच सामग्री, अभ्यास, लाठी प्रशिक्षण, लोकनृत्य, लोकसंगीत और व्यायाम सिखाया जा रहा है। ये अभिनेता की तैयारी के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होती है। मण्डप से प्रशिक्षित कलाकार आज देश के हर बड़े मंच पर काम कर रहे हैं वह निर्देशन के क्षेत्र में अभिनय एवम नेपथ्य में लगातार कार्य कर मण्डप रीवा का नाम रोशन कर रहे हैं मण्डप की अध्यक्ष चंद्रकांता मिश्रा ने कहा संस्था समय-समय पर नाट्य कार्यशालाओं की आवश्यकता को पूरी करती आई है यहां आप अपने और आपनी कला को निखार सकते हैं आज मीडिया में बहुत स्थानों पर कार्य के अवसर हैं जहां हम अभिनय का प्रदर्शन कर सकते हैं फिल्मों, सीरियल्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म, एवं यू-ट्यूब और इंस्टाग्राम के माध्यम से आप अभिनय को दर्शकों के बीच प्रदर्शित कर सकते हैं और सुना सकते हैं। इसके लिए रंगमंच की जानकारी होना जरूरी है।

नाट्य कार्यशाला के दौरान एक नाट्य प्रस्तुति की भी तैयारी की जा रही है। नाट्य कार्यशाला मे प्रशिक्षक के रूप में कुंवर सुधीर सिंह नेपथ्य के लिए,राजमणि तिवारी भोला भाई लाठी तथा लोकनृत्य के लिए,विपुल सिंह स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए,यशो शास्त्री नाट्य संगीत के लिए एवं विनोद कुमार मिश्रा कार्यशाला निर्देशक होंगे। जिन कला प्रेमियों को इस कार्यशाला से जुड़ना है वह कला मंदिर में पत्रकार भवन मे आकर सुबह 10:00 से दोपहर 2:00 बजे तक संपर्क करें।

प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारों को सम्मानित कर निःशुल्क पैरवी का संकल्प लिया

सरकार से किया सुविधाओं की मांग

रीवा ।

अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस संघर्ष परिषद एवं सरपंच महा संघ के अध्यक्ष ब्रह्मांशी पंडित राजकुमार सिंह तिवारी ने सभी पत्रकार बंधुओ को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए ,यह संकल्प लिया कि, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, पत्रकारिता के रक्षक, पत्रकार बंधुओ को अगर कोई झूठे मुकदमों में फसाता है ,परेशान करता है ,तो उनकी मुकदमों की निशुल्क पैरवी कर हर संभव मदद की जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग किया है कि,पत्रकारों को आवास, वेतन, पेंशन चिकित्सा सुविधा, सुरक्षा आदि प्रदान किया जाय।विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 1993 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित किया गया। अपने स्वतंत्रता के खिलाफ हमले के विरोध में प्रेस की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु ।आज दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है। केवल सूचना तकनीक के कारण ।पत्रकारिता का इतिहास काफी पुराना है ।प्रगति ऐतिहासिक काल में भित्ति चित्र के माध्यम से सूचना भेजी जाती थी ।जो प्रथम सूचना स्त्रोत है ।फिर शब्दों, लिपियां एवं मुद्रण कला से समाचार पत्र निकालना। मुद्रण का इतिहास 175 ई के आसपास था। चीन के पैकिंग गजट एवं नीदरलैंड के न्यू ज्वाइंट 1526 को समाचार की प्रारंभिक रूप माना जा सकता है। लगभग 5 सौ वर्षों की लंबी यात्रा में पत्रकारिता ने नित्य नए आयाम स्थापित कर, मनुष्यता स्वतंत्रता और विश्व बंधुत्व का प्रचार किया है। यह दिवस पहली बार 1994 में मनाया गया। उद्देश्य था प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना, और कर्तव्य पथ पर शहीद हुए महान पत्रकारों को श्रद्धांजलि देना। यह दिवस मीडिया की आजादी और पत्रकारों की सुरक्षा के लिए आवाज उठाने के लिए प्रेरित करता है ।मीडिया बहुत महत्वपूर्ण है। पत्रकारिता बहुत जोखिम भरा पेशा है ।आए दिन पत्रकारों पर हमला होता है ,प्रताड़ित किया जाता है, किंतु वह अपनी जान हथेली पर लेकर विचारों की अभिव्यक्त की स्वतंत्रता को संघर्ष रत रहते हैं । तमाम तरह की कठिनाइयों को झेलकर अपनी निजी जिंदगी को ताक में रखकर सार्वजनिक हित के रक्षार्थ निर्भय होकर अपनी जान जोखिम में डालते रहते हैं।इस दिन प्रेस के स्वतंत्रता के सिद्धांतों का जश्न मनाना, मूल्यांकन करना ,और उनकी रक्षा करना , वीर पत्रकारों को सम्मानित करना हम सबका पावन कर्तव्य है ।सन 2024 की जो थीम है वह ए प्रेस फॉर द प्लेनेट जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द इन्वायरमेंट क्राइसिस है। इसके तहत इस थीम के अनुसार हम सबको भीषण पर्यावरण संकट जो उत्पन्न है उसकी रक्षा करना है।इटली के पत्रकार गुईलर्मो कैनो जो पत्रकार लेखक संपादक थे । अपनी जान की परवाह किए बिना प्रेस की स्वतंत्रता सच्चाई हेतु संघर्ष रत रहे । उन्ही के नाम पर गिलर्मो कैनो वर्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड का जन्म हुआ। जेम्स अगस्टिन हिक्की द्वारा 29 जनवरी 1780 में पहले भारतीय समाचार पत्र बंगाल गजट कोलकाता से अंग्रेजी में निकाला गया था ।आदर्श वाक्य था सभी के लिए खुला एवं किसी से प्रभावित नहीं। निर्भय आचरण के कारण उनका ईस्ट इंडिया कंपनी का कोप भाजन बनना पड़ा था एवं जेल यात्रा करनी पड़ी थी।वे भारत के प्रथम पत्रकार थे, जिन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश सरकार से विद्रोह किया। वह प्रेस स्वतंत्रता के प्रतीक थे। वर्ष 1900 में हिंदी का युगांतकारी पत्रिका सरस्वती का प्रकाशन शुरू हुआ था।आज पत्रकारिता मिशन को कुछ लोग व्यवसाय बनाकर राजनेताओं पूंजीपतियों भ्रष्ट अधिकारियों से मिली भगत कर अपना स्वार्थ सिद्ध कर बदनाम कर रहे हैं। जो अत्यंत चिंताजनक है। इसको दूर करना होगा। उक्त अवसर पर कॉमरेड लाल मणि त्रिपाठी पार्टीएडवोकेट मानसी तिवारी राम रतन सिंह तिवारी विजय पांडे प्रमोद त्रिपाठी राम सुशील पांडे उमेश पांडेय बृजेश सिंह तिवारी एवम् संतोष श्रीवास्तव आशुतोष सिंह पुष्पेंद्र गुप्ता अनिल त्रिपाठी आशीष विकास बघेल आरिफ खान रहीम खान मनीष दहिया कमलेश्वर तिवारी सुनील शर्मा निक्की रोहित पाटील राजेश राकेश शेषमणि श्रवण श्रीवास्तव जनसंपर्क विभाग महेंद्र तिवारी आज अच्छा देवी एवं हनुमान नागरिक उपस्थित रहे।एसत्यमेव जयते।

नगर निगम की आईईसी टीम द्वारा संचालित कराया गया आर.आर.आर केंद्र

रीवा।

निगम आयुक्त संस्कृति जैन के निर्देशानुसार वॉर्ड नंबर 18 साई मन्दिर के पास आर.आर.आर. केन्द्र संचालित किया गया आर.आर.आर. केन्द्र का मुख्य उद्देश्य यह है कि जरूरत से ज्यादा जिनके पास किताबे, कपड़े, बर्तन झोला इत्यादि सामान जो भी है उसको वहा पर दे जाय और जिनको इन वस्तुओं की आवश्यकता है वो ले जाय। नगर निगम की इस सराहनीय कदम में नागरिको ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया आज हम देखते है कि जो भी हमारे घरों में पुरानी उपयोगी वस्तुएं हैं जिनका हम कोई उपयोग नहीं करते है घर में पड़ी रहती है, या हम बाहर फेक दे रहे हैं। पर उसका पुनः उपयोग नही हो पाता लेकिन नगर निगम के आर.आर.आर. केन्द्र में जो पुरानी बस्तुए नागरिको द्वारा दिया जाता है उसको किसी न किसी जरुरत मंद को दे दिया जाता है। जिसे वह उसका उपयोग कर सके नगर निगम रीवा के इस सुनहरे कदम के कारण आज लगभग 1000 से अधिक लोगों को जरुरत की सामग्री दी गई जो कि बहुत ही सराहनीय कदम है। शहर के नागरिकों से अपील की गई है कि हम सब मिलकर रीवा नगर निगम का साथ दें और ज्यादा से ज्यादा लोगो तक यह लाभ पहुंचाएं।

सभी न्यायालयीन प्रकरणों में 15 मई तक जवाब-दावा दायर करें - कलेक्टर

रीवा। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने न्यायालयीन प्रकरणों में जवाब-दावा दायर करने की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि सभी कार्यालय प्रमुख हाईकोर्ट में लंबित प्रकरणों में 15 मई तक जवाब-दावा अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कर दें। कोर्ट की अवमानना के भी सभी प्रकरणों में समुचित कार्यवाही करके उनका 15 मई तक निराकरण कराएं। लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य कई विभागों में कर्मचारियों के स्वत्वों से संबंधित बड़ी संख्या में प्रकरण

न्यायालय में दर्ज हैं। सभी अधिकारी अपनी लेखा और स्थापना शाखा का निरीक्षण कर कर्मचारियों के उचित स्वत्वों का भुगतान कराएं। इसमें लापरवाही बरतने वाले एकाउंटेंट पर दण्डात्मक कार्यवाही भी करें। कलेक्टर ने कहा कि लोक निर्माण विभाग में 149, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में 99 प्रकरण लंबित हैं। इनमें जवाब-दावा दायर कराएं। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में लंबित प्रकरणों में से 76 में जवाब-दावा दायर कर दिया गया है। शेष प्रकरणों में भी तय समय सीमा में जवाब-दावा दायर कराएं।